

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052025-262912
CG-DL-E-05052025-262912

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1971]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2025/वैशाख 15, 1947

No. 1971]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2025/VAISAKHA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2025

का.आ. 2015(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम, 2025 है।

(2) यह 5 मई, 2025 से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) “नाम निर्दिष्ट अस्पताल” से मोटर यानों के प्रयोग से हुई सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकदी रहित उपचार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ शामिल किया गया अस्पताल या नैदानिक स्थापन अभिप्रेत है;

(ग) “निधि” से केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 के नियम 2 के उप-नियम (ख) में यथा परिभाषित मोटर यान दुर्घटना निधि अभिप्रेत है;

- (घ) "मार्गदर्शी सिद्धांत" से मोटर वाहन के प्रयोग से हुई सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समुचित और समय पर उपचार प्रदान करने और उन अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत, जब पीड़ित को उपचार प्रदान किया जाता है, अभिप्रेत हैं;
- (ङ) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्थापित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) "पोर्टल" से स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक अंतर-संबंध वेब या इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली अभिप्रेत है;
- (छ) "राज्य सरकार" से यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अभिप्रेत है;
- (ज) "राज्य स्वास्थ्य अभिकरण" से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त अस्तित्व अभिप्रेत है;
- (झ) "राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" से अधिनियम की धारा 215 की उप-धारा (2) के अधीन गठित यथास्थिति राज्य या संघ राज्य क्षेत्र परिषद अभिप्रेत है;
- (ञ) "उपचार पैकेज" से स्कीम के अधीन नकदी रहित उपचार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उपचार पैकेज अभिप्रेत है;
- (ट) "उपचार पैकेज दर" से उपचार पैकेज के समरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई उपचार लागत की स्वीकार्य सीमा अभिप्रेत है, जिसके लिए स्कीम के अधीन भुगतान किया जाएगा।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. पात्रता और कवरेज.- (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सड़क पर मोटर यान के प्रयोग से हुई सड़क दुर्घटना का पीड़ित (जिसे इसके बाद पीड़ित कहा जाएगा) है, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार नकदी रहित उपचार का हकदार होगा:

(2) पीड़ित ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित एक लाख पचास हजार रुपये तक की रकम के नकदी रहित उपचार का हकदार होगा:

(3) इस स्कीम के अधीन नाम निर्दिष्ट अस्पताल के अतिरिक्त किसी अन्य अस्पताल में उपचार केवल स्थिरीकरण प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और यह मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परन्तु राज्य सरकार पीड़ितों को ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा देखभाल प्रदान करने में सक्षम सभी अस्पतालों को स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नाम निर्दिष्ट अस्पतालों के रूप में शामिल करने के सभी आवश्यक उपाय करेगी।

4. नोडल अभिकरण.- (1) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा:

परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी अन्य निकाय को नोडल अभिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

(2) नोडल अभिकरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, स्कीम के पूर्ण या उसके किसी भाग के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

5. नोडल अभिकरण के कृत्य.- (1) नोडल अभिकरण इस स्कीम के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उपखंड (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नोडल अभिकरण,-

- (i) नाम निर्दिष्ट अस्पतालों को शामिल करने, पीड़ितों के उपचार, उपचार के लिए नाम निर्दिष्ट अस्पताल को भुगतान और संबंधित मामलों के लिए पोर्टल को अंगीकृत करने और उसका उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगा;
- (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन पैनल में रखे गए अस्पतालों के अलावा, उपचार प्रदान करने के लिए स्कीम के अधीन अस्पतालों को नाम निर्दिष्ट करने के लिए राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ समन्वय करेगा;
- (iii) स्कीम या इसके फायदों में धोखेबाजी या दुरुपयोग का पता लगाने और इसे रोकने के लिए अपेक्षित उपायों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ समन्वय करेगा;
- (iv) स्कीम के कार्यान्वयन से उद्भूत शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र विकसित, उसे कार्यान्वित और बनाए रखेगा;
- (v) पोर्टल पर नाम निर्दिष्ट अस्पताल को देय भुगतानों के समय पर संवितरण की निगरानी करेगा; और
- (vi) स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा या किसी अन्य उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

6. उपचार पैकेज.- (1) स्कीम के अधीन चिकित्सा उपचार, उपचार पैकेजों के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।

(2) स्कीम के अधीन उपबंधित नाम निर्दिष्ट अस्पताल को उपचार पैकेज के खर्च का भुगतान उपचार पैकेज दर पर आधारित होगा।

7. पीड़ित को चिकित्सा उपचार.- (1) नाम निर्दिष्ट अस्पताल पीड़ित को अस्पताल लाए जाने पर तुरंत चिकित्सा उपचार शुरू करेगा और उसे प्रशासित करेगा।

(2) स्कीम के अनुसरण में नाम निर्दिष्ट अस्पताल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) यदि नाम निर्दिष्ट अस्पताल यह समझता है कि पीड़ित के समुचित उपचार के लिए आवश्यक उपचार सुविधाएं या विशेषज्ञता उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा नाम निर्दिष्ट अस्पताल पीड़ित को तुरंत किसी अन्य नाम निर्दिष्ट अस्पताल में रेफर करेगा और पोर्टल पर स्थानांतरण को उपदर्शित करेगा तथा पीड़ित को एम्बुलेंस के माध्यम से ऐसे नाम निर्दिष्ट अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करेगा।

8. अस्पतालों को भुगतान.- (1) स्कीम के अधीन पीड़ित को छुट्टी मिलने के बाद यथास्थिति नाम निर्दिष्ट अस्पताल या स्थिरीकरण उपचार प्रदान करने वाला ऐसा अन्य अस्पताल, पोर्टल पर उपचार पैकेज की लागत के भुगतान के लिए राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा ऐसी यथाविनिर्दिष्ट रीति और ऐसे दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-खंड (1) के अधीन प्रस्तुत दावे को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा:

परन्तु राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, नाम अस्पताल को उपचार पैकेज के खर्च के लिए दावा राशि के भुगतान के लिए आवश्यक समझे गए अनुसार अन्य अभिकरणों या प्राधिकरणों से और जानकारी मांग सकेगा।

(3) राज्य स्वास्थ्य अभिकरण पोर्टल पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए और नाम निर्दिष्ट अस्पताल को प्रदान किए जाने वाले दावे को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अनुमोदित करेगा या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से खारिज करेगा और नाम निर्दिष्ट अस्पताल या ऐसे अन्य अस्पताल को उपलब्ध कराएगा:

(4) राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा दावे का अनुमोदन हो जाने पर, नाम निर्दिष्ट अस्पताल को उपचार पैकेज के खर्च के लिए अनुमोदित भुगतान मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट ऐसे अभिकरण या प्राधिकरण को पोर्टल पर अंतरित कर दिया जाएगा।

(5) भुगतान, ऐसे अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा निधि के संबंधित खाते से उप-खण्ड (4) के अधीन राज्य स्वास्थ्य अभिकरण से अनुमोदित भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "अनुमोदित भुगतान" से ऐसी दावा रकम अभिप्रेत होगी, जो राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा उपचार पैकेज दर के अनुसार पीड़ित को दिए जाने वाले उपचार पैकेज के लिए नाम निर्दिष्ट अस्पताल को या ऐसे अन्य अस्पताल को भुगतान के लिए अनुमोदित की जाती है।

9. स्कीम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत.- (1) स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत इस स्कीम के साथ-साथ पढ़े जाएंगे।

(2) स्कीम और मार्गदर्शक सिद्धांतों के बीच किसी असंगति की दशा में स्कीम के उपबंध अभिभावी होंगे।

10. स्कीम मानीटरी तंत्र.- (1) स्कीम के कार्यान्वयन की मानीटरी के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विषय निर्वाचन समिति का गठन किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	समिति के सदस्य	भूमिका
(1)	(2)	(3)
1.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सी.ई.ओ., राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण	सदस्य
3.	अपर सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय-सह-अध्यक्ष (अवस्थापक), मोटर यान दुर्घटना निधि न्यास	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
7.	महासचिव, साधारण बीमा परिषद्	सदस्य
8.	उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	सदस्य
9.	चक्रानुक्रम आधार पर 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य स्वास्थ्य अभिकरणों के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	निदेशक या उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य – समन्वयक
11.	सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तीन गैर-सरकारी अभिकरणों के प्रतिनिधि, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य

(2) विषय निर्वाचन समिति, वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय, तारीख और स्थान पर बैठक करेगी, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) विषय निर्वाचन समिति, स्कीम के क्रियान्वयन की मानीटरी के प्रयोजन के लिए स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल किसी भी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद या किसी अस्तित्व या अधिकारी से जानकारी मांग सकेगी।

(4) प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्कीम के कार्यान्वयन की मानीटरी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा की जाएगी।

(5) प्रत्येक जिले के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन की मानीटरी अधिनियम की धारा 215 की उपधारा (3) के अधीन गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा की जाएगी।

(6) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्कीम से संबंधित मुद्दों के समाधान तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों की अधिसूचना के लिए केंद्रीय सरकार में नोडल प्राधिकरण होगा।

[फा. सं. आरटी-11028/01/2024-एमवीएल-भाग(4)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2025

S.O. 2015(E).—In exercise of the powers conferred by section 162 read with sub-section (4) of section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Scheme may be called the Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025.

(2) It shall come into force with effect from the 5th May, 2025.

2. Definitions.-(1) In this scheme, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (b) “designated hospital” means the hospital or clinical establishment onboarded by the State Government with the National Health Authority for providing cashless treatment to victims of road accidents arising out of the use of motor vehicles;
- (c) “Fund” means the Motor Vehicle Accident Fund as defined in sub-rule (b) of rule 2 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022;
- (d) “guidelines” means the guidelines issued from time to time by the Central Government to guide the implementation of the Scheme to provide appropriate and timely treatment to victims of road accidents arising from the use of a motor vehicle and to ensure timely payment to hospitals where treatment to the victim is provided;
- (e) “National Health Authority” means the Authority established under the Ministry of Health and Family Welfare for implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana;
- (f) “portal” means an inter-linked web or electronic based system for implementation of the Scheme;
- (g) “State Government” means a State Government or Union Territory Administration, as the case may be;
- (h) “State Health Agency” shall mean the entity recognised by the National Health Authority for implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana;
- (i) “State Road Safety Council” means the Council for a State or Union Territory, as the case may be, constituted under sub-section (2) of section 215 of the Act;
- (j) “treatment package” means the treatment package as specified by the National Health Authority for providing cashless treatment under the Scheme;
- (k) “treatment package rate” means the acceptable limit of cost of treatment decided by the National Health Authority corresponding to the treatment package for which payment under the Scheme shall be made.

(2) Words and expressions used in the Scheme and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Eligibility and coverage.-(1) Any person being a victim of road accident arising out of the use of motor vehicle (hereinafter referred to as the victim), occurring on any road, shall be entitled to cashless treatment in accordance with the provisions of this Scheme.

(2) The victim shall be entitled to cashless treatment at any designated hospital for an amount up to one lakh fifty thousand rupees per victim for a maximum period of seven days from the date of such accident:

(3) The treatment under this Scheme at a hospital other than a designated hospital shall be for stabilisation purposes only and shall be as specified by the guidelines:

Provided that the State Government shall take all necessary steps to onboard all hospitals capable of providing trauma and polytrauma care to victims as designated hospitals for the implementation of the Scheme.

4. Nodal agency.-(1) The State Road Safety Council shall be the nodal agency for implementation of the Scheme for that State or Union Territory:

Provided that the State Government may specify, with the prior approval of the Central Government, any other entity to be the nodal agency.

(2) The nodal agency may specify implementation agencies for the implementation of the Scheme, in whole or any part thereof, as specified by the guidelines.

5. Functions of nodal agency. - (1) The nodal agency shall, for the purpose of implementation of the Scheme, perform such functions as may be specified by the guidelines.

(2) Without prejudice to sub-clause (1), the nodal agency shall,-

- (i) coordinate with National Health Authority for adoption and utilisation of the portal for onboarding of designated hospitals, treatment of victims, payment to the designated hospital on treatment and related matters;
- (ii) coordinate with State Health Agency to designate hospitals under the Scheme for providing treatment, in addition to the hospitals empanelled under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, as specified by the National Health Authority;
- (iii) coordinate with State Health Agency to implement measures required for the detection and prevention of fraud or misuse of the Scheme or its benefits;
- (iv) develop, implement and maintain a mechanism for redressal of grievances arising from the implementation of the Scheme;
- (v) oversee the timely disbursement of payments due to the designated hospital on the portal; and
- (vi) perform such other functions or discharge any other responsibility entrusted to it, from time to time, by the Central Government, for the proper implementation of the Scheme.

6. Treatment packages.-(1) The medical treatment under the Scheme shall be administered through treatment packages.

(2) The payment for the cost of treatment package to the designated hospital provided under the Scheme shall be based on the treatment package rate.

7. Medical treatment to a victim.-(1) The designated hospital shall commence and administer medical treatment to the victim immediately on the victim being brought to the hospital.

(2) The procedure to be followed by designated hospital in pursuance of the Scheme, shall be as specified by the guidelines.

(3) In case the designated hospital deems that the treatment facilities or the expertise necessary for the proper treatment of the victim are not available with it, such designated hospital may immediately refer the victim to another designated hospital and indicate the transfer on the portal and also make arrangements for the transportation of the victim to such designated hospital by an ambulance.

8. Payments to hospitals.-(1) After discharge of the victim under the Scheme, the designated hospital or such other hospital providing stabilization treatment, as the case may be, shall raise a claim for payment of the cost of treatment package on the portal, in such manner and along with such documents as specified by the State Health Agency.

(2) The claim submitted under sub-clause (1) shall be verified by the State Health Agency:

Provided that the State Health Agency may seek further information from other agencies or authorities as deemed necessary for payment of the claim amount for the cost of treatment package to the designated hospital.

(3) The State Health Agency shall either approve, in full or in part, or reject the claim, in full or in part, for reasons to be recorded on the portal and make available to the designated hospital or such other hospital:

(4) On approval of the claim by the State Health Agency, the approved payment for the cost of treatment package to the designated hospital shall be transferred on the portal to such agency or authority as specified in the guidelines.

(5) The payment shall be made by such agency or authority from the concerned account of the Fund within a period of ten days from the date of receipt of the approved payment under sub-clause (4) from the State Health Agency.

Explanation. - For the purpose of this clause, “approved payment” shall mean such claim amount which is approved for payment to the designated hospital or such other hospital by the State Health Agency for the treatment package administered to the victim in accordance with the treatment package rate.

9. Guidelines to the Scheme.- (1) For the effective implementation of the Scheme, the detailed guidelines issued by the Central Government from time to time, shall be read along with the Scheme.

(2) In case of any inconsistency between the Scheme and the guidelines, the provisions of the Scheme shall prevail.

10. Scheme monitoring mechanism.- (1) A Steering Committee, having the following composition, shall be constituted by the Central Government to monitor the implementation of the Scheme, namely:-

S. No.	Committee Members	Role
(1)	(2)	(3)
1.	Secretary, Ministry of Road Transport and Highways	Chairperson
2.	CEO, National Health Authority	Member
3.	Additional Secretary, Ministry of Road Transport and Highways-cum-Chairperson (Settlor), Motor Vehicle Accident Fund Trust	Member
4.	Joint Secretary, Ministry of Home Affairs	Member
5.	Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member
6.	Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance	Member
7.	Secretary General, General Insurance Council	Member
8.	Deputy Director General, National Informatics Centre	Member
9.	Representatives of State Health Agencies of six States and Union Territories on rotation basis	Member
10.	Director or Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways	Member - Convener
11.	Representatives of three Non-Governmental Agencies working in the area of road safety as may be nominated by the Central Government	Member.

(2) The Steering Committee shall meet at least twice in a year, at such time, date and at such place as the Chairperson may, from time to time, specify in this behalf.

(3) The Steering Committee may seek information from any State Road Safety Council or any entity or officer involved in the implementation of the Scheme for the purpose of monitoring the implementation of the Scheme.

(4) The implementation of the Scheme in each State or Union Territory shall be monitored by the respective State Road Safety Council.

(5) The implementation of the Scheme in each district shall be monitored by the District Road Safety Committee constituted under sub-section (3) of section 215 of the Act.

(6) The Ministry of Road Transport and Highways shall be the nodal authority in the Central Government for notification of the guidelines and addressing issues related to the Scheme.

[F. No. RT-11028/01/2024-MVL-Part (4)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.